

[2024] 3 एस.सी.आर. 778 : 2024 आईएनएससी 217

सत्येंद्र कुमार जैन

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय

(आपराधिक अपील सं. 1638/2024)

18 मार्च 2024

[माननीय न्या. बेला एम. त्रिवेदी* और माननीय न्या. पंकज मिथल]

विचाराधीन मुद्दा

क्या अपीलार्थीगण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों अर्थात् कि यह मानने के उचित आधार हैं कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराध का अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है, को पूरा करने में सक्षम रहे हैं।

हेडनोट्स

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 45 - धन शोधन का अपराध - जमानत देने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें - अपीलार्थी-रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मंत्री ने नकद भुगतान करके, प्रविष्टि संचालकों के माध्यम से चार कंपनियों के बैंक खातों में प्राप्त लगभग 4.81 करोड़ रुपये की नकदी के विरुद्ध जमाखर्ची प्रविष्टियों का पूरा संचालन किया तथा वह इस पूर्ण संचालन का संकल्पनाकार, आरंभकर्ता, निधि प्रदाता और पर्यवेक्षक था, और उक्त कंपनियाँ उसके और उसके परिवार के नियंत्रण और स्वामित्व में थीं - अन्य दो अपीलार्थीगण ने आईडीएस के अंतर्गत झूठी घोषणाएँ करके मंत्री की सहायता की, जिनमें से प्रत्येक ने मंत्री को बचाने के लिए 8.26 करोड़ रुपये की कथित अप्रकटित आय घोषित की - प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध धन शोधन का अपराध करने के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई - अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए अभियोजन पक्ष की शिकायत तय की गई - जमानत आवेदन - उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति - शुद्धता:

अभिनिर्धारित किया गया: हालाँकि एक कंपनी अपने शेयरधारकों और निदेशकों से एक अलग विधिक इकाई है, लेकिन कॉर्पोरेट आवरण हटाने की अनुमति तब दी जाती है जब ऐसे कॉर्पोरेट ढाँचे का प्रयोग धोखाधड़ी या आर्थिक अपराध करने के लिए किया गया हो या अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मुखौटे या दिखावे के तौर पर उपयोग किया गया हो - यद्यपि आईडीएस के अंतर्गत अन्य दो अपीलार्थीगण द्वारा की गई घोषणाएँ शून्य घोषित की गईं, तथापि प्राधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों

में दर्ज टिप्पणियों और कार्यवाहियों को केवल उक्त घोषणाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता - उक्त कार्यवाहियाँ स्पष्ट रूप से प्रवर्तन निदेशालय के मामले की पुष्टि करती हैं जैसा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया गया है - अपीलार्थीगण को आयकर अधिकारियों को गुमराह करने के लिए झूठी घोषणाएँ दाखिल करने के अपने गलत काम का फायदा उठाने, और अब यह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आईडीएस के तहत उक्त घोषणाएँ शून्य थीं - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण यह मानने में पूरी तरह विफल रहे कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वे कथित अपराधों के दोषी नहीं हैं - इसके विपरीत, ईडी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री से यह पता चलता है कि वे कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं - इस प्रकार, यह मानना संभव नहीं है कि अपीलार्थीगण ने धारा 45 में निर्धारित दो अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया है - उच्च न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण को पीएमएलए के अंतर्गत कथित अपराधों का दोषी पाया, और निर्णय में कोई अवैधता या दोष नहीं है - अपीलार्थीगण को उनकी गिरफ्तारी के बाद अस्थायी अवधि के लिए ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और अपीलार्थी-मंत्री को चिकित्सा आधार पर ज़मानत पर रिहा किया गया था जो आज तक जारी है - अपीलकर्ता को तत्काल विशेष न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। [पैरा 28-33]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धारा 3 और 2(1)(प) - धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन का अपराध - धारा 2(1)(प) में शब्द "अपराध की आय" - परिभाषा:

अभिनिर्धारित किया गया: धन शोधन का अपराध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से निपटने की प्रत्येक प्रक्रिया और गतिविधि को कवर करता है, और यह केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था में दागी संपत्ति के एकीकरण के अंतिम कार्य तक सीमित नहीं है, जिससे धन शोधन का कार्य बनता है - अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी को धन शोधन के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब धारा 2(1)(प) के अर्थ में अपराध की आय मौजूद हो और इसके अतिरिक्त वह किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हो - संपत्ति को धारा 2(1)(प) के अंतर्गत "अपराध की आय" की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए - संज्ञेय अपराध से जुड़ी सभी या पूरी अपराध संपत्ति को अपराध की आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन धारा 2(1)(प) के अंतर्गत "अपराध की आय" की परिभाषा को पूरा करने वाली सभी संपत्तियाँ अनिवार्य रूप से अपराध की संपत्तियाँ होंगी। [पैरा 21]

उद्धृत निर्णयज विधि

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [2022] 6 एससीआर 382 : (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929; *करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* (1995) पूरक (3) एससीसी 376; *नीलू चोपड़ा और अन्य बनाम भारती* [2009] 14 एससीआर 1074 : (2009) 10 एससीसी 184; *म्याकला धर्मराजम एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य* (2020) 2 एससीसी 743; *गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन-शोधन निवारण अधिनियम),*

भारत सरकार [2015] 15 एससीआर 499 : (2015) 16 एससीसी 1; रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2017] 13 एससीआर 156 : (2018) 11 एससीसी 46 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988; वित्त अधिनियम, 2016

मुख्य शब्दों की सूची

धन शोधन निवारण; ज़मानत; धन शोधन; जमाखर्ची प्रविष्टियाँ; अप्रकटित आय; कंपनी, अपने शेयरधारकों और निदेशकों से अलग विधिक इकाई; कॉर्पोरेट आवरण उठाना; झूठी घोषणाएँ; आत्मसमर्पण; अपराध की आय; संपत्ति; लाभकारी स्वामी।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र : आपराधिक अपील सं. 1638/2024

ज़मानत आवेदन सं. 3590/2022

सह

आपराधिक अपील सं. 1639 और 1640/2024 में नई दिल्ली के दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 06.04.2023 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न

पक्षकारगण के प्रस्तुतकर्ता

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, एन. हरी हरण, श्रीमती मीनाक्षी अरोरा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, विवेक जैन, अभिनव जैन, अमित भंडारी, रजत जैन, शरीयन मुखर्जी, मुईद शाह, सिद्धांत सहाय, डॉ. सुशील कुमार गुप्ता, श्रीमती सुनीता गुप्ता, डॉ. सुशील सत्रावला, चंद्रतनय चौबे, अंकित शाह, मनन वर्मा, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

एस.वी. राजू, अति.महा.सा., मुकेश कुमार मरोरिया, ज़ोहेब हुसैन, रजत नायर, अन्नम वेंकटेश, पद्मेश मिश्रा, सुश्री सैरिका एस राजू, विनायक शर्मा, क्षितिज अग्रवाल, विवेक गुरनानी, विवेक गौरव, कार्तिक सभरवाल, सुश्री अभिप्रिया, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

माननीय न्या. बेला एम. त्रिवेदी

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. तीनों अपीलें, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा ज़मानत आवेदन सं. 3590/2022, 3705/2022 और 3710/2022 पर दिनांक 06.04.2023 को पारित सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण के सभी ज़मानत आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है।
3. इससे पहले विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई)-23 (सांसद/विधायक मामले) ने दिनांक 17.11.2022 के अलग-अलग विस्तृत आदेशों के माध्यम से सभी अपीलार्थीगण-अभियुक्त के जमानत आवेदनों को अस्वीकार दिया था।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

4. सीबीआई के उप पुलिस अधीक्षक, जिसने सीबीआई के उक्त कार्यालय में दिनांक 10.04.2017 को पीई एसी-1-2017-ए0003 के रूप में एक प्रारंभिक पूछताछ की थी, के कहने पर सीबीआई एसी-1, नई दिल्ली में दिनांक 24 अगस्त, 2017 को एक प्राथमिकी मामला सं. आरसी-एसी-1-2017-ए-0005 दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री श्री सत्येंद्र कुमार जैन एवं अन्य के विरुद्ध पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 109 और धारा 13(1)(ड) के अंतर्गत अपराधों के लिए दर्ज की गई। जाँच के बाद, सीबीआई द्वारा उक्त प्राथमिकी के संबंध में 03.12.2018 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में छह अभियुक्तगण अर्थात् श्री सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, श्री अजीत प्रसाद जैन, श्री सुनील कुमार जैन, श्री वैभव जैन और श्री अंकुश जैन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया।
5. चूँकि 24 अगस्त, 2017 की उक्त प्राथमिकी में पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(ड) के साथ पठित धारा 13(2) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "पीएमएलए" कहा जाएगा) के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया था और चूँकि अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि श्री सत्येंद्र जैन ने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की मदद से 14.02.2015 से 31.05.2017 की अवधि के दौरान गैर-आनुपातिक आस्ति अर्जित की थी, जब वह रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में कार्यरत था, और कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से दूषित नकदी राशि का शोधन किया था, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित और धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धन शोधन के अपराध की जाँच के लिए सत्येंद्र जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन और अन्य के विरुद्ध 30 अगस्त, 2017 को ईसीआईआर सं. ईसीआईआर/मुख्यालय/14/2017 दर्ज की थी। उक्त जाँच पूरी होने पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 27.07.2022 को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू ज़िला न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में अभियुक्त श्री सत्येंद्र जैन और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय और धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के अपराधों का संज्ञान लेने

की प्रार्थना के साथ अभियोजन शिकायत दायर की गई। उक्त अभियोजन शिकायत प्रतिदावा सं. 23/2022 होने के कारण अब अपीलार्थीगण - अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के चरण में लंबित है।

6. जाँच के दौरान अपीलार्थी-सत्येंद्र कुमार जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया और अपीलार्थीगण- वैभव जैन और अंकुश जैन को 30 जून, 2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन शिकायत में उल्लिखित अपीलार्थीगण-अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सार निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	मामले में भूमिका (संक्षेप में)
---------	-----------------	--------------------------------

1.	सत्येंद्र कुमार जैन	उपरोक्त चर्चा और सामग्री के आधार पर, यह स्पष्ट है कि सत्येंद्र कुमार जैन ने आपराधिक षड्यंत्र रचा और नकदी के बदले जमाखर्ची प्रविष्टियाँ बनाने का विचार बनाया। अपने विचार को लागू करने के लिए, उसने अपने पुराने मित्र श्री जगदीश प्रसाद मोहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का लेखापरीक्षक नियुक्त करने का सुझाव दिया। उसने (सत्येंद्र कुमार जैन) सबसे पहले श्री जगदीश प्रसाद मोहता से संपर्क किया और अपनी उपरोक्त चार कंपनियों में नकदी के बदले जमाखर्ची प्रविष्टियाँ लेने के लिए कहा। श्री मोहता ने सत्येंद्र कुमार जैन और कोलकाता स्थित जमाखर्ची प्रविष्टि प्रदाता राजेंद्र बंसल के बीच एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में इन प्रविष्टियों की सभी बारीकियों को अंतिम रूप दिया गया जैसे कमीशन का प्रतिशत, नकद अंतरण की प्रक्रिया, बनाए रखे जाने वाले दस्तावेज़ आदि। इस तरह सत्येंद्र कुमार जैन इन जमाखर्ची प्रविष्टियों के संपूर्ण संचालन का संकल्पनाकार, आरंभकर्ता और पर्यवेक्षक था। विभिन्न कंपनियों में जमाखर्ची प्रविष्टियाँ लेकर सत्येंद्र कुमार जैन कॉर्पोरेट आवरण के पीछे छिप रहा था। लेन-देन और तथ्यों की जाँच से यह साबित होता है कि सत्येंद्र कुमार जैन ने उन कंपनियों को शुरू किया, प्रबंधित किया और नियंत्रित किया, जिनमें ये जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। तदनुसार, 2015-16 की अवधि के दौरान कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों से उपरोक्त कंपनियों के बैंक खातों में कुल 4.81 करोड़ रुपये (प्रविष्टियों के रूप में 4.75 करोड़ रुपये + कमीशन के रूप में 5.32 लाख रुपये) की जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं और इस उद्देश्य के लिए कुल 4,65,99,635 रुपये नकद अर्थात् (4,60,83,500 रुपये + प्रविष्टि संचालकों को भुगतान किया गया 5,16,135 रुपये का कमीशन) का भुगतान किया गया। उसने वर्ष 2015-16 के दौरान कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों से 15,00,000 रुपये की नकद राशि + 16,800 रुपये का कमीशन देकर अपनी कंपनी जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 15,00,000 रुपये की जमाखर्ची प्रविष्टि भी प्राप्त की। इस आपराधिक गतिविधि के द्वारा, उसने 14.02.2015 से 31.05.2017 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री
----	---------------------	--

2.	अंकुश जैन	अंकुश जैन ने श्री सत्येंद्र कुमार जैन को बचाने और उसका बचाव करने के लिए 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए <u>8.6 करोड़ रुपये (जाँच अवधि के दौरान 1,53,61,166 रुपये सहित)</u> की अप्रकटित आय प्रकट करने के लिए आईडीएस (आय घोषणा योजना), 2016 के अंतर्गत घोषणा करके जानबूझकर सत्येंद्र कुमार जैन की सहायता की है। उसने वैभव जैन, सुनील कुमार जैन और जगदीश प्रसाद मोहता की मदद से अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटलइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने निदेशक पद के संबंध में पिछली तिथि के दस्तावेज़ तैयार किए और अपनी आईडीएस घोषणा को वास्तविक दिखाने के लिए पिछली तिथि से उक्त कंपनियों के निदेशक बन गए। इस प्रकार अंकुश जैन ने पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया है, क्योंकि वह वास्तव में इसमें शामिल था और सत्येंद्र कुमार जैन को जानबूझकर उसकी अपराध की आय 4,81,16,435/- रुपये को वर्तमान शिकायत में पिछले पैराग्राफ़ में वर्णित ढंग और तरीके से बेदाग दिखाने में सहायता कर रहा था और इसलिए वह पीएमएलए की धारा 4 के अंतर्गत दंड का पात्र है।
----	-----------	---

3.	वैभव जैन	वैभव जैन, श्री सत्येन्द्र कुमार जैन को बचाने के लिए 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि के लिए <u>8.6 करोड़ रुपये (जाँच अवधि के दौरान 1,53,61,166 रुपये सहित)</u> की अप्रकटित आय प्रकट करने के लिए आईडीएस, 2016 के अंतर्गत घोषणा करके सत्येन्द्र कुमार जैन की जानबूझकर सहायता करने में शामिल हैं। उसने सुनील कुमार जैन, अंकुश जैन और श्री जगदीश प्रसाद मोहता की मदद से अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने निदेशक पद के संबंध में पिछली तिथि से दस्तावेज़ तैयार किए और अपनी आईडीएस घोषणा को वास्तविक दिखाने के लिए पिछली तिथि से उक्त कंपनियों के निदेशक बन गए। इस प्रकार वैभव जैन ने पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया है, क्योंकि वह वास्तव में सत्येन्द्र कुमार जैन की 4,81,16,435 रुपये की अपराध आय को शिकायत में उपरोक्त ढंग और तरीके से बेदाग दिखाने में शामिल रहा है और जानबूझकर उसकी सहायता की है और इसलिए वह पीएमएलए की धारा 4 के अंतर्गत दंड का पात्र है।
----	----------	--

प्रस्तुतियाँ

7. दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण ने विस्तार से अपनी-अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। अपीलार्थी सत्येन्द्र कुमार जैन की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं:
 - (i) अपीलार्थी को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए विधेय अपराध में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, और अपीलार्थी की गिरफ्तारी ईसीआईआर के पंजीकरण के लगभग पाँच साल बाद ईडी द्वारा की गई थी, हालाँकि अपीलार्थी पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत जारी किए गए समन के जवाब में उपस्थित रहकर ईडी का सहयोग कर रहा था। अपीलार्थी 30.05.2022 से 26.05.2023 तक अभिरक्षा में था और तब से उसे चिकित्सा आधार पर अंतरिम ज़मानत दी गई है।

- (ii) ईडी द्वारा आरोपित किसी भी कंपनी के शेयर को अपीलार्थी द्वारा जाँच अवधि के दौरान अधिग्रहित नहीं किया गया था और यहाँ तक कि कंपनी द्वारा धारित आस्तियों को भी उसके शेयरधारकों के नाम नहीं जोड़ा जा सकता था।
- (iii) यहाँ तक कि यदि अपीलार्थी को उसकी पत्नी की शेयरधारिता के माध्यम से 4.61 करोड़ रुपये की जमाखर्ची प्रविष्टियाँ दी जाती हैं, तो यह केवल 59,32,122 रुपये होगी, जो 1 करोड़ से कम है, और इसलिए अपीलार्थी पीएमएलए की धारा 45 के परंतुक के अंतर्गत ज़मानत का हकदार है।
- (iv) ईडी द्वारा गणना की गई अपराध की आय की राशि और सीबीआई के आरोप पत्र में उल्लिखित राशि में भारी विसंगति है, क्योंकि प्राथमिकी के अनुसार कथित गैर-आनुपातिक राशि 1,62,50,294 रुपये है, जबकि ईडी के अनुसार यह राशि 4,81,16,435 रुपये है।
- (v) अपीलार्थी ने न तो निदेशक के रूप में कार्य किया था और न ही जाँच अवधि के दौरान किसी वित्तीय दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे, और अपीलार्थी ने कथित अपराध के होने से दो साल पहले ही कथित रूप से शामिल कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था। वैभव जैन और अंकुश जैन तथा उनके परिवार के सदस्यों का उक्त कंपनियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण था।
- (vi) वैभव जैन के लॉकर से ज़ब्त किए गए समझौता ज्ञापन में कंपनियों में अपीलार्थी की भूमिका को दर्शाया गया है, जो व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करता है और दर्शाता है कि वैभव जैन और अंकुश जैन के परिवारों द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले निवेश के लिए अपीलार्थी की वास्तुकला विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनंतिम कुर्की आदेश को अभिखंडित करने के माध्यम से, अपीलार्थी के लाभकारी मालिक होने के विरुद्ध आरोप का खंडन किया गया था।
- (vii) कथित अपराध की आय को जमाखर्ची प्रविष्टियों के माध्यम से वैभव जैन और अंकुश जैन के परिवारों को निर्देशित किया गया था, और कोलकाता स्थित शेल कंपनियों को जारी किए गए नए शेयरों को जाँच अवधि के दौरान वैभव जैन और अंकुश जैन को तुरंत अंतरित कर दिया गया था। इसलिए अपीलार्थी के पास अपराध की कोई आय नहीं थी।
- (viii) यदि उक्त संपत्ति पर अपीलार्थी का कोई आधिपत्य या नियंत्रण नहीं था, तो अपीलार्थी को संपत्ति पर आन्वयिक कब्जे में नहीं माना जा सकता। ईडी की शिकायत के अनुसार भी अपीलार्थी के पास अपराध की आय का कब्ज़ा नहीं था और इसलिए भी अपीलार्थी को उस पर आन्वयिक कब्जे में नहीं कहा जा सकता।

- (ix) ईडी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों में से कोई भी यह नहीं दर्शा पाया कि अपीलार्थी ने जाँच अवधि के दौरान कोलकाता की कंपनियों को नकदी प्रदान की थी। वैभव जैन और अंकुश जैन ने ही पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत अपने बयान दर्ज करते समय नकदी के वैध स्रोत के रूप में अपने फ्रेगरेंस व्यवसाय को बताया था।
- (x) कोलकाता की कंपनियों और कथित तौर पर जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्रदान करने वाले व्यक्तियों को ईडी द्वारा अभियुक्त नहीं बनाया गया।
- (xi) ईडी ने अपनी शिकायत में जो आरोप लगाया था कि अपीलार्थी ने आपराधिक षड्यंत्र रचने का एक विधेय अपराध किया था और आपराधिक गतिविधि करके सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने नाम पर और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 4.81 करोड़ रुपये की आस्ति अर्जित की थी, वह आरोप सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ड) के अंतर्गत गैर-आनुपातिक आस्ति के संबंध में अपीलार्थी और अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में नहीं लगाया गया था।
- (xii) केवल जमाखर्ची प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की धारणाएँ अपराध की आय की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत हैं जैसा कि **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** के निर्णय में बताया गया है। ऐसा आरोप कर उल्लंघन हो सकता है लेकिन इसे अपराध की आय नहीं माना जा सकता।
- (xiii) अभियोजन पक्ष की शिकायत इस बारे में मौन है कि संज्ञेय अपराध कब किया गया था और कैसे और किस तरीके से पीएमएलए की धारा 3 के अर्थ के भीतर अपराध की आय को वैध बनाया गया था।
- (xiv) वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा 2010-2016 की अवधि के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये की आय घोषणा योजना (आईडीएस) घोषणा के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आईडीएस घोषणाओं को पीसीआईटी ने दिनांक 09.06.2017 के आदेश के अनुसार तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण/दमन के आधार पर खारिज कर दिया था। पीसीआईटी के उक्त आदेश को वैभव जैन और अंकुश जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, हालाँकि उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 01.08.2019 के आदेश के अनुसार उस याचिका को अस्वीकार कर दिया था। न तो पीसीआईटी और न ही उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि 16 करोड़ रुपये की उक्त राशि अपीलार्थी की थी।
- (xv) ईडी द्वारा अपीलार्थी के दिनांक 27.06.2018 के पत्र पर भरोसा करना भ्रामक और गलत था, क्योंकि अपीलार्थी ने उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के लाभकारी स्वामी होने से इनकार किया था। चूँकि वैभव जैन और अंकुश जैन ने पहले ही उक्त आय पर कर जमा कर दिया था, इसलिए अपीलार्थी ने उक्त पत्र में अधिकारियों से

केवल उक्त कर को समायोजित करने और अपीलार्थी से उसी राशि की फिर से माँग न करने का अनुरोध किया था, हालाँकि उक्त पत्र से यह नहीं माना जा सकता था कि अपीलार्थी ने मूल्यांकन आदेश में किए गए परिवर्धन को स्वीकार कर लिया था।

(xvi) जैसा कि **विजय मदनलाल चौधरी** (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालयों को सूक्ष्म विचारण नहीं करना चाहिए और मामले की केवल व्यापक संभावना पर विचार करना चाहिए। अपीलार्थी के भागने का जोखिम नहीं है, दस्तावेजों या गवाहों से छेड़छाड़ का कोई जोखिम नहीं है। ईडी द्वारा आरोपित जेल उल्लंघन को संबंधित जेल विजिटिंग जज और जेल अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया है। अपीलार्थी बीमार और अशक्त है, उसकी रीढ़ की सर्जरी हुई है, इसलिए वह पीएमएलए की धारा 45 के परंतुक के अनुसार जमानत का हकदार है।

8. विद्वान अति.महा.सा. श्री एस.वी. राजू ने अपीलार्थी श्री सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा दायर अपील में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

- (i) जाँच के दौरान यह पता चला कि अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदस्थापित और कार्यरत रहते हुए 2015 से 2017 की अवधि के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के रूप में आस्तियाँ अर्जित की थीं, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोत के गैर-अनुपात में थी।
- (ii) जाँच अवधि के दौरान, लगभग 4.81 करोड़ रुपये की नकदी के विरुद्ध जमाखर्ची प्रविष्टियाँ कंपनियों - मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में प्राप्त हुई, जो शेल कंपनियों के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों से अपीलार्थी के स्वामित्व/नियंत्रण में लाभकारी रूप से हैं।
- (iii) कोलकाता निवासी राजेंद्र बंसल और जीवेंद्र मिश्रा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री जेपी मोहता के बयानों से पता चला कि श्री राजेंद्र बंसल ने अपीलार्थी की कंपनियों में जमाखर्ची प्रविष्टियों की व्यवस्था की थी। श्री वैभव जैन ने धारा 50 के अंतर्गत अपने बयान में यह भी कहा था कि नकदी अपीलार्थी ने स्वयं प्रदान की थी और उसने हवाला संचालकों के माध्यम से दिल्ली से कोलकाता नकदी अंतरित करने की अपराधी कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया था और बताया था कि कैसे नकदी के बदले में, कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से अपीलार्थी के स्वामित्व वाली कंपनियों में जमाखर्ची प्रविष्टियाँ की गईं और प्राप्त की गईं तथा उक्त धन से कृषि भूमि खरीदी गई।

- (iv) आयकर विभाग से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि अपीलार्थी ने आयकर अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा आईडीएस, 2016 के अंतर्गत भुगतान किए गए आयकर को आईटी अधिकारियों द्वारा उसके व्यक्तिगत मूल्यांकन में उठाई गई माँगों के विरुद्ध समायोजित किया जाए, जिससे यह स्थापित हो गया कि वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा की गई आईडीएस घोषणा अपीलार्थी के लिए की गई थी और आईडीएस में भुगतान की गई राशि और उस पर चुकाया गया कर अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन का था।
- (v) विशेष न्यायालय ने दिनांक 29.07.2022 के आदेश के माध्यम से पीएमएलए मामले का संज्ञान लिया और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य संज्ञेय अपराध के अस्तित्व और अपराध की आय के अस्तित्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त थे।
- (vi) अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन कोलकाता स्थित फ़र्ज़ी शेल कंपनियों के पीछे मुख्य व्यक्ति था, जिसने कभी कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं किया। उसने या तो उन्हें निगमित किया था या अपनी पत्नी के साथ बहुसंख्यक शेयरधारिता में था। वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2015-16 के दौरान उक्त कंपनियों में 16.50 करोड़ रुपये (लगभग) की जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिसकी अपराधी कार्यप्रणाली लेखाकार/चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री जे.पी. मोहता के बयानों के साथ-साथ जमाखर्ची प्रविष्टि प्रदाता श्री राजेंद्र बंसल और वैभव जैन के बयान से भी पता चली।
- (vii) यद्यपि कंपनी का अपने शेयरधारकों से अलग विधिक इकाई होने का सिद्धांत कंपनी विधि का एक स्थापित सिद्धांत है, फिर भी कॉर्पोरेट आवरण हटाने को उन मामलों में बरकरार रखा गया है जहाँ कॉर्पोरेट संरचनाओं का उपयोग धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध करने के लिए किया गया है या अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए एक मुखौटे या दिखावे के रूप में प्रयोग किया गया है।
- (viii) आईडीएस घोषणाओं की फ़र्ज़ी प्रकृति इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि जमाखर्ची प्रविष्टि के रूप में प्राप्त 16.50 करोड़ रुपये की पूरी राशि वैभव जैन और अंकुश जैन के बीच विभाजित की गई थी। उक्त घोषणाओं से पता चलता है कि यह सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए उनकी अपराधी कार्यप्रणाली थी, तथा उन्होंने स्वयं ही सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया था, ताकि इसे गैर-आनुपातिक आस्ति से संबंधित आपराधिक गतिविधि के बजाय कर चोरी का मामला बताया जा सके। इस अपराधी कार्यप्रणाली से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थीगण ने स्वयं इन कंपनियों की कॉर्पोरेट संस्थाओं की अवहेलना की थी।

- (ix) संज्ञेय अपराध के कमीशन द्वारा अपीलार्थी द्वारा अर्जित गैर-आनुपातिक वित्तीय संसाधनों का उपयोग धन के दूषित स्रोतों को छिपाने और ढकने के लिए जमाखर्ची प्रविष्टियों के रूप में किया गया था, और इसलिए यह पीएमएलए की धारा 2(1)(प) के अंतर्गत परिभाषित अपराध की आय होने के योग्य होगा।
- (x) राजेंद्र बंसल और जीवेंद्र मिश्रा नामक दो प्रविष्टि संचालकों ने आशंका व्यक्त की थी कि श्री सत्येंद्र कुमार जैन एक प्रभावशाली राजनेता होने के कारण उनके लिए खतरा पैदा करेंगे।
- (xi) पीएमएलए की धारा 45 की अनिवार्य दो शर्तें पूरी न होने के कारण अपीलार्थी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
9. जहाँ तक अपीलार्थी अंकुश जैन और वैभव जैन का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मेनाक्षी अरोड़ा और विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार गुप्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:
- (i) वर्तमान मामले में संज्ञेय अपराध अर्थात् पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(ड) के अंतर्गत गैर-आनुपातिक आस्ति का मामला एक अवधि विशेष अपराध है और यह जाँच अवधि (14.02.2015 से 31.05.2017) के अंत में ही पूरा होता है। जैसा कि **विजय मदनलाल चौधरी** (पूर्वोक्त) में कहा गया है, अपराध की आय पहले से ही किए गए संज्ञेय अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का संकेत है, और इसलिए धन शोधन का अपराध संज्ञेय अपराध पूरा होने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, अपीलार्थीगण को 2015-2016 से बेनामी लेनदेन के लिए फँसाया गया है, जो जाँच अवधि अर्थात् 31.05.2017 के अंत से काफ़ी पहले था।
- (ii) अपीलार्थीगण के विरुद्ध धन शोधन के अपराध का श्रेय जाँच अवधि समाप्त होने से बहुत पहले अर्थात् 31.05.2017 पर आईडीएस दाखिल करने के उनके कार्य को दिया जाता है। इसलिए, इसे धन शोधन के अपराध में किसी की सहायता करने के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपराध की आय जाँच अवधि की समाप्ति के बाद उत्पन्न की जा सकती थी, न कि उससे पहले।
- (iii) अपीलार्थीगण द्वारा 2010-2011 से 2015-2016 की अवधि के लिए अप्रकटित आय के संबंध में आईडीएस घोषित करने के कृत्य को सत्येंद्र जैन द्वारा धन शोधन का अपराध करने में सहायता करने के कृत्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विधिक तरीकों से अर्जित बेहिसाबी संपत्ति का कब्ज़ा कर उल्लंघन के लिए कार्रवाई योग्य हो सकता है, लेकिन इसे अपराध की आय नहीं माना जा सकता है जब तक कि संबंधित कर विधि ऐसे उल्लंघनों को अपराध के रूप में निर्धारित नहीं करती है और ऐसा अपराध पीएमएल अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं है। वर्तमान मामले में,

16 करोड़ की कुल राशि को अपराध की आय के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि ईडी जाँच अवधि के दौरान प्राप्त जमाखर्ची प्रविष्टियों पर भरोसा कर रहा है।

- (iv) वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 183 के अंतर्गत दायर आईडीएस को आयकर अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 193 के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया गया था। इसलिए, आईडीएस दाखिल करने वाले अपीलार्थीगण के उक्त कृत्य को पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत आरोप लगाने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। "शून्य" का अर्थ समझने के लिए **करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** पर भरोसा किया जाता है।
- (v) ईडी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आईडीएस की घोषणा से, वैभव जैन द्वारा दायर की गई या अंकुश जैन द्वारा दायर की गई, पीएमएलए के अंतर्गत अपराध बनाने में सत्येंद्र जैन की सहायता मिली है। चूँकि आरोप अस्पष्ट हैं, इसलिए इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इस संबंध में, **नीलू चोपड़ा और अन्य बनाम भारती और म्याकाला धर्मराजम और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य** पर भरोसा किया जाता है।
- (vi) चूँकि, अपराध की आय का सृजन पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध नहीं है और उक्त अपराध संज्ञेय अपराध की पूर्ति के बाद ही किया जा सकता है, इसलिए कथित कृत्य को पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध नहीं कहा जा सकता। सीबीआई द्वारा कथित तौर पर आस्ति अर्जित करने के लिए सत्येंद्र जैन की सहायता करने वाले अपीलार्थीगण के कृत्य को पीएमएलए के अंतर्गत अपराध नहीं कहा जा सकता।
- (vii) कंपनियों के सभी अभिलेखों का नियंत्रण अपीलार्थीगण के पास था, जिसमें बैंक खाते भी शामिल थे। वे निदेशक होने के नाते कंपनियों की ओर से किए गए कार्यों के संबंध में मुख्य निर्णयकर्ता थे, और श्री सत्येंद्र जैन का 2013 के बाद उक्त कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं था। अभियोजन पक्ष ने पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज साक्षियों के बयानों से अनावश्यक रूप से अपीलार्थीगण को सत्येंद्र जैन से जोड़ने का प्रयास किया है।
- (viii) संज्ञेय अपराध में षड्यंत्र का आरोप नहीं है। जिस दिन श्री सत्येंद्र जैन ने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया, उसी दिन कंपनियों या किसी भी व्यापारिक लेन-देन के संबंध में उनके साथ सभी संबंध समाप्त हो गए, और जुलाई 2013 से वह न तो निदेशक था, न ही शेयरधारक और न ही उन कंपनियों के साथ उसका कोई संबंध था जो अपीलार्थीगण की कंपनियाँ थीं।

- (ix) अपीलार्थीगण 30.06.2022 से अभिरक्षा में हैं, सिवाय उस अवधि के जब उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था (वैभव जैन 18.08.2023 से 27.12.2023 तक और अंकुश जैन 12.09.2023 से 27.12.2023 तक)।
- (x) अपीलार्थीगण ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए न्यायालय द्वारा अधिरोपित की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, तथा किसी भी तरह से विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देरी करने का प्रयास भी नहीं किया है।
- 10. प्रत्यर्थी-प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान अति.महा.सा. श्री एस.वी. राजू ने अपीलार्थीगण- अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा प्रस्तुत अपीलों पर निम्नानुसार प्रस्तुतियाँ कीं: -**
- (i) अपीलार्थीगण-अंकुश जैन और वैभव जैन अभियुक्त-सत्येंद्र कुमार जैन की सहायता करके धन शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थे। अपीलार्थी अंकुश जैन जाँच अवधि के दौरान मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक था। उक्त कंपनी 27.07.2022 को दायर अभियोजन शिकायत में अभियुक्तगण में से एक है। उक्त कंपनी ने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से जमाखर्ची प्रविष्टियों के रूप में जाँच अवधि के दौरान 1,90,00,000/- रुपये की अपराध आय प्राप्त की थी। उक्त अपीलार्थी-अंकुश जैन ने अपराध की आय को विफल करने के लिए मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे वाली भूमि को अपनी माँ इंदु जैन के नाम पर अंतरित कर दिया।
- (ii) इसी तरह, अपीलार्थी-वैभव जैन जाँच अवधि के दौरान मैसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक था। उक्त कंपनी 27.07.2022 को दायर अभियोजन शिकायत में अभियुक्तगण में से एक है। उक्त कंपनी ने जाँच अवधि के दौरान कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से जमाखर्ची प्रविष्टियों के रूप में अपराध की राशि 69,00,300/- रुपये प्राप्त की थी। उक्त अपीलार्थी-वैभव जैन ने अपराध की आय को विफल करने के लिए मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे वाली जमीन को अपनी माँ सुशीला जैन और पत्नी स्वाति जैन के नाम पर अंतरित कर दिया था। उसने शेल कंपनियों से बिना किसी प्रतिफल के शेयर भी वापस ले लिए और इस तरह दोनों अपीलार्थीगण ने धन शोधन की प्रक्रिया में दूषित धन को बेदाग दिखाने में सत्येंद्र कुमार जैन की मदद की।
- (iii) दोनों अपीलार्थीगण ने अपराध की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए सत्येंद्र कुमार जैन को बचाने के लिए जाँच अवधि अर्थात् 2010-11 से 2015-16 के दौरान आईडीएस, 2016 के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 8.6 करोड़ रुपये की अप्रकटित आय की घोषणा की थी।

- (iv) दोनों अपीलार्थीगण ने एक-दूसरे की मदद से और सुनील कुमार जैन तथा जगदीश प्रसाद मोहता की मदद से अपनी-अपनी कंपनियों में अर्थात् श्री अंकुश जैन मैसर्स अर्किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड में, तथा श्री वैभव जैन मैसर्स अर्किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड में, निदेशक बनने के लिए पिछली तिथि के दस्तावेज़ तैयार किए, ताकि आईडीएस घोषणाओं को वास्तविक दिखाया जा सके।
- (v) अपीलार्थीगण द्वारा आईडीएस घोषणाओं के अंतर्गत बताई जाने वाली आय अपीलार्थी- सत्येंद्र जैन की थी, और उक्त आईडीएस घोषणाओं को आयकर अधिकारियों ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 193 के अंतर्गत गलत प्रस्तुतिकरण और तथ्यों को छिपाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था।
- (vi) अपीलार्थीगण की घोषणाएँ वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 193 के अंतर्गत अमान्य घोषित की गईं, जो केवल उक्त योजना के प्रयोजन के लिए लागू होती है, तथापि, यदि ऐसी घोषणाएँ करना एक अलग अधिनियम, अर्थात् पीएमएलए के अंतर्गत अपराध था, तो ऐसा कृत्य केवल धारा 193 के कारण मिट नहीं जाएगा।
- (vii) यह तथ्य कि उक्त अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी घोषणाएँ की गई थीं, पीएमएलए के अंतर्गत कथित अपराध के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक तथ्य था, क्योंकि दोनों अपीलार्थीगण पर उनकी व्यक्तिगत क्षमता में अपीलार्थी- सत्येंद्र जैन को अपराध की आय को छिपाने और अपराध की आय को बेदाग रूप में पेश करने में कथित रूप से सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए अभियोजन चलाया जा रहा है।
- (viii) धारा 13(1)(ड) और धारा 13(2) दोनों ही पीएमएलए के अंतर्गत संज्ञेय अपराध हैं, और पीएमएलए की धारा 3 किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसमें शामिल करती है, जिसकी संज्ञेय अपराध में कोई भूमिका हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में लिप्त होने का प्रयास किया है या जानबूझकर सहायता की है या अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में जानबूझकर शामिल पक्ष है।
- (ix) धन शोधन केवल जाँच अवधि के बाद ही शुरू होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(ड) के अंतर्गत अपराध यह मानता है कि किसी भी समय लोक सेवक की आस्तियाँ उसकी आय के गैर-अनुपात में नहीं हो सकती हैं, जिसे लोक सेवक द्वारा जाँच अवधि के आरंभ में या मध्य में भी अर्जित किया जा सकता है।

- (x) चारों कंपनियों और कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के बैंक खातों के विवरण से पता चला कि 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि (जाँच अवधि के दौरान) के दौरान कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कुल 4,60,83,500 रुपये की राशि प्राप्त हुई, जबकि उक्त कंपनियों द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं की गई थीं और शेयरों को बहुत अधिक प्रीमियम पर खरीदा गया था।
- (xi) जाँच से पता चला कि सत्येंद्र जैन द्वारा अर्जित नकदी को जाँच अवधि के दौरान कोलकाता प्रविष्टि संचालकों को जमाखर्ची प्रविष्टियों के उद्देश्य से दिया गया था, जब वे अधिग्रहित किए गए थे और उसके बाद उन्हें छिपाया गया और बेदाग के रूप में पेश किया गया और शेयर आवेदन धन के रूप में धनशोधन करने का प्रयास किया गया। उक्त कंपनियों द्वारा उक्त राशि का उपयोग ऋण चुकाने और कृषि भूमि खरीदने के लिए भी किया गया था।
- (xii) हालाँकि सीबीआई ने प्राथमिकी सं. आरसी-एसी-आई-2017-ए 0005 (दिनांक 24.08.2017) में दायर अपने आरोप पत्र दिनांक 03.12.2018 में अपराध की आय 1,47,60,497.67 रुपये निर्धारित की थी, लेकिन पीएमएलए के अंतर्गत की गई जाँच को ध्यान में रखते हुए यह स्थापित हो गया कि सभी कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण सत्येंद्र जैन के पास था और जाँच अवधि के दौरान प्राप्त 4,81,16,435/- रुपये की राशि सत्येंद्र जैन के हाथों में अपराध की आय थी। उक्त निष्कर्ष और उसमें निहित तथ्यों को भी पीएमएलए की धारा 66(2) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2022 के पत्र के माध्यम से सीबीआई को अवगत करा दिया गया है।
- (xiii) यद्यपि जमाखर्ची प्रविष्टियाँ अपने आप में किसी दिए गए मामले में अपराध की आय नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में, यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि जाँच अवधि के दौरान तीन कंपनियों के शेयर, जो फ़र्जी शेयर कंपनियों के पास थे, कोलकाता स्थित शेल कंपनियों द्वारा नकदी के बदले में प्रविष्टियों के रूप में खरीदे गए थे, जिस नकदी का स्रोत लोक सेवक, अर्थात्, सत्येंद्र जैन था, वह शेयरों का लाभकारी मालिक था जो बेहिसाब नकदी या गैर-आनुपातिक आर्थिक संसाधनों को पेश करने का एक साधन था, जो सीधे पीएमएलए की धारा 2(1)(प) के अंतर्गत परिभाषित अपराध की आय के अर्थ में आते हैं।
11. तर्क-वितर्क के दौरान, न्यायालय ने विद्वान अति.महा.सा. श्री राजू से अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन की भूमिका के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा था, साथ ही अपराध की आय की मात्रा के बारे में भी स्पष्टीकरण माँगा था, जिसमें वे कथित रूप से शामिल थे, विशेष रूप से

से उनके विरुद्ध अभियोजन शिकायत में उल्लिखित आँकड़ों के संबंध में। उसी के अनुसरण में, प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक ने अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन की भूमिका को स्पष्ट करते हुए अपना शपथपत्र दायर किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि 1,53,61,166/- रुपये का आँकड़ा अनजाने में पृष्ठ सं.-248 पर उल्लेख किया गया था, क्योंकि यह वह राशि थी जिसे सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को व्यक्तिगत रूप से कुल 4.61 करोड़ रुपये की नकदी के बदले में जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया था, हालाँकि प्रत्यर्थी की जाँच से पता चला है कि पूरे 4.81 करोड़ रुपये (4.61 करोड़ रुपये + कमीशन + जे.जे. आइडियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 15 लाख रुपये) पूरी तरह से सत्येंद्र जैन की संपत्ति थी, जो नकदी के बदले में जमाखर्ची प्रविष्टियों के रूप में उसकी कंपनियों में आई थीं।

12. उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अरोड़ा ने आगे कहा कि तथाकथित अनजाने में हुई गलती को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष इंगित नहीं किया गया था और यह केवल इस न्यायालय के समक्ष तर्कों के दौरान ही था, उक्त स्पष्टीकरण/सुधार की माँग की गई थी, जो स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार, ईडी को जाँच करने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब अपराध की आय उत्पन्न होती है और जब वह पीएमएलए की धारा 3 में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि के अधीन होती है। इसलिए, ईडी अपराध की आय को सीबीआई द्वारा गैर-आनुपातिक आस्ति के रूप में ली गई राशि अर्थात् 1,47,60,497/- से अधिक नहीं बढ़ा सकता था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी के अनुसार, तर्कों के दौरान उल्लिखित राशि 1,53,61,166/- रुपये थी और लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार उल्लिखित राशि 4,81,16,435/- रुपये थी, और शपथपत्र के अनुसार उल्लिखित राशि 4,65,99,635/- रुपये है, जिसका शिकायत में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं, इसलिए लाभ अपीलार्थीगण को मिलना चाहिए।

विश्लेषण

13. हम इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत हैं कि वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा अन्य लोगों के साथ कथित रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए 03.12.2018 को पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और संबंधित न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। प्रत्यर्थी - ईडी द्वारा वर्तमान अपीलार्थीगण के विरुद्ध अन्य लोगों के साथ धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जैसा कि पीएमएलए 2002 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धारा 70 के साथ पठित धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हमें यह भी अवगत कराया गया है कि विशेष न्यायालय ने अपीलार्थीगण सहित अन्य के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए अभियोजन शिकायत तय की है। परिस्थितियों में हमारे द्वारा किया गया कोई भी अवलोकन विचारण की प्रक्रिया को

प्रभावित कर सकता है। इसलिए, हम मामले के गुणागुण के आधार पर पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए विस्तृत निवेदनों पर विचार करने से स्वयं को रोकेंगे, बल्कि हम केवल न्यूनतम तथ्यों पर विचार करने तक ही स्वयं को सीमित रखेंगे, जो यह निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं कि क्या अपीलार्थी पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित दो शर्तों को पूरा करने में सक्षम हैं, अर्थात् (i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराध का अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; और (ii) यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

14. **गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार** में, यह मानते हुए कि पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं, निम्नलिखित टिप्पणी की थी: -

“30. पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के उपबंधों द्वारा और मज़बूत किया गया है। धारा 65 के अनुसार दं.प्र.सं. के उपबंध लागू होंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और धारा 71 में प्रावधान है कि पीएमएलए के उपबंधों का प्रभाव तब अभिभावी होगा, जब तक कि वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि में इसके साथ असंगत कुछ भी न हो। पीएमएलए का प्रभाव अभिभावी होगा और दं.प्र.सं. के उपबंध तभी लागू होंगे, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। इसलिए, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन दं.प्र.सं. की धारा 439 के अंतर्गत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के उपबंधों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलार्थी पर है कि अपराध की आय शामिल नहीं है।”

15. **विजय मदनलाल चौधरी** (पूर्वोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 45 की वैधता को बरकरार रखते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की थी: -

“387. ऐसा कहने के बाद, अब हमें 2018 के संशोधन के बाद लागू दोहरी शर्तों को दी गई चुनौती पर विचार करना चाहिए। उस चुनौती को उसके अपने गुणागुण के आधार पर परखना होगा न कि उन कारणों के संदर्भ में जिन पर इस न्यायालय ने उपबंध घोषित करते समय विचार किया था (जैसा कि प्रासंगिक समय में था), यह केवल 2002 अधिनियम की अनुसूची के भाग क के अंतर्गत तीन वर्ष से अधिक कारावास की अवधि के लिए दंडनीय अपराधों पर लागू है। अब दोहरी शर्तों वाला उपबंध (धारा 45) 2002 अधिनियम के अंतर्गत अपराध पर ही लागू होगा। 2018 के संशोधन के बाद का उपबंध, धन शोधन के अपराध के

संबंध में ज़मानत न देने की प्रकृति का है जब तक कि दोहरी शर्तें पूरी न हों। दोहरी शर्तें हैं कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त धन शोधन के अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। 2002 अधिनियम के रूप में विधान के प्रयोजनों और उद्देश्यों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रति की गई प्रतिबद्धता और उनकी अनुशंसाओं के आधार पर इसे जिस पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया था, उस पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि यह देशों की संप्रभुता और अखंडता सहित वित्तीय प्रणालियों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव डालने वाली धन शोधन गतिविधियों के विषय से निपटने के लिए एक विशेष विधान है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे गंभीर अपराध से निपटने के लिए, धन शोधन की रोकथाम और धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए 2002 अधिनियम में कड़े उपाय प्रदान किए गए हैं, जिसमें अपराध की आय की कुर्की और ज़ब्ती तथा अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्तियों पर अभियोजन चलाना शामिल है। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाली धन शोधन गतिविधियों के परिणामों की गंभीरता को देखते हुए, रोकथाम और विनियमन के लिए एक विशेष प्रक्रियात्मक विधि बनाई गई है, जिसमें शामिल व्यक्ति पर अभियोजन चलाना भी शामिल है, जिसमें अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल अपराधियों को सामान्य अपराधियों से अलग वर्ग में रखा गया है। धन-शोधन के अपराध को "पूरी दुनिया में" अपराध का एक गंभीर रूप माना जाता है। इसलिए, यह अपराध की एक अलग श्रेणी है, जिसके लिए धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी और कड़े उपायों की आवश्यकता है।

400. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 2002 अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत प्रदान की गई दोहरी शर्तें, हालाँकि अभियुक्त के ज़मानत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 45 के अंतर्गत प्रदान की गई शर्तें जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध अधिरोपित करती हैं। विवेकाधिकार न्यायालय के पास निहित है जो मनमाना या तर्कहीन नहीं है बल्कि न्यायिक है, जो 2002 अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत दिए गए विधि के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।

404. जैसा कि पहले बताया गया है, कई अन्य विशेष विधानों में भी ऐसी ही दोहरी शर्तें दी गई हैं, जिनकी वैधता को इस न्यायालय ने उचित माना है और संबंधित विशेष विधानों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और लक्ष्यों से इसका संबंध है। विशेष विधान के अतिरिक्त, सामान्य विधि के भी उपबंध, जैसे कि 1973 संहिता, अभियुक्त को ज़मानत पर रिहा करने से पहले पूर्व शर्तों का अनुपालन निर्धारित करते हैं। ज़मानत प्रदान करना, भले ही अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, न्यायालयों द्वारा पारित किया जाने वाला विवेकहीन आदेश नहीं है। सामान्य अपराधों के संबंध में भी ज़मानत प्रदान करने की प्रार्थना पर, इस

न्यायालय द्वारा समय-समय पर मामले-दर-मामला आधार पर निर्धारित किए गए वस्तुनिष्ठ स्पष्ट न्यायिक मापदंडों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

406. यह तर्क दिया गया कि किसी दिए गए मामले में संज्ञेय अपराध एक गैर-संज्ञेय अपराध हो सकता है और फिर भी 2002 अधिनियम की धारा 45 की कठोरता के परिणामस्वरूप ऐसे अभियुक्तगण को भी जमानत देने से इनकार कर दिया जाएगा। यह तर्क 2002 अधिनियम की योजना की स्पष्ट गलतफ़हमी पर आधारित है। जैसा कि हमने इस निर्णय के पिछले भाग में बार-बार उल्लेख किया है कि धन शोधन का अपराध वह है जिसमें कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्षकार बनता है या वास्तव में शामिल होता है। यह तथ्य कि अपराध की आय एक संज्ञेय अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, जो संयोग से एक गैर-संज्ञेय अपराध है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति पर 2002 अधिनियम के उपबंधों को लागू करके संज्ञेय अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जाता है, बल्कि केवल तभी चलाया जाता है जब उसने संज्ञेय अपराध से संबंधित या उससे संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति अर्जित की हो और फिर अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हो। इतना कहना पर्याप्त है कि विचाराधीन तर्क पूरी तरह से गलत है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।”

16. तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रतिपादित विधि की पूर्वोक्त स्थिति के आलोक में, हमने अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोपित मामले और अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया बचाव की प्रथम दृष्टया जाँच की है, ताकि हम स्वयं को संतुष्ट कर सकें कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलार्थी अधिनियम के अंतर्गत कथित अपराधों के दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यद्यपि प्रत्यर्थी - ईडी की ओर से यह आग्रह किया गया था कि अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन एक बहुत प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं और जमानत पर रिहा होने पर साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है, हम अपीलार्थी पर गुणागुण के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेंगे।
17. प्रत्यर्थी - ईडी द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत मामला यह है कि अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन ने नकदी के बदले जमाखर्ची प्रविष्टियों के निर्माण के विचार की संकल्पना की थी और इस अवसर पर, उसके करीबी सहयोगी श्री जगदीश प्रसाद मोहता ने जुलाई/अगस्त, 2010 में सत्येंद्र कुमार जैन और कोलकाता स्थित जमाखर्ची प्रविष्टि प्रदाता राजेंद्र बंसल के बीच एक बैठक आयोजित की थी। उक्त बैठक में जमाखर्ची प्रविष्टियों को पूरा करने की रूपरेखा, कमीशन का प्रतिशत, नकद अंतरण की प्रक्रिया और बनाए रखने वाले दस्तावेज़ आदि को अंतिम

रूप दिया गया था। इस प्रकार, ईडी के अनुसार, सत्येंद्र कुमार जैन जमाखर्ची प्रविष्टियों के संपूर्ण संचालन के लिए संकल्पनाकार, आरंभकर्ता और पर्यवेक्षक था। यह आरोप लगाया गया है कि 2015-16 के दौरान कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों से चार कंपनियों - प्रयास इन्फ़ोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अर्किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में कुल 4.81 करोड़ रुपये की जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जो कंपनियाँ उसके और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व/नियंत्रण में थीं, और लगभग 4,65,99,635 रुपये की नकदी उक्त प्रविष्टि संचालकों को दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी सत्येंद्र कुमार जैन ने वर्ष 2015-16 के दौरान अपनी कंपनी जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 15 लाख रुपये की नकद राशि और 16,800 रुपये का कमीशन देकर कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों से 15 लाख रुपये की जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त कीं। इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र कुमार जैन ने वास्तव में 4,81,16,435/- रुपये की राशि को बैंक प्रक्रिया का उपयोग करके अर्जित करने, अपने पास रखने, छिपाने और उसका उपयोग करने तथा उसे बेदाग बताने और दावा करने के द्वारा पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन का अपराध किया है।

18. ईडी ने अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन के विरुद्ध अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्येंद्र कुमार जैन को बचाने के लिए 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए 8.26 करोड़ रुपये की अप्रकटित आय घोषित करने के लिए आईडीएस 2016 के अंतर्गत अलग-अलग स्वतंत्र घोषणाएँ करके कथित अपराध को अंजाम देने में सत्येंद्र कुमार जैन की सहायता की थी। ईडी के मामले के अनुसार, अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन ने अर्किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फ़ोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक पद के संबंध में सुनील कुमार जैन और जगदीश प्रसाद मोहता की मदद से पूर्व दिनांकित दस्तावेज़ तैयार किए थे और इन कंपनियों के आईडीएस घोषणाओं को वास्तविक दिखाने के लिए पिछली तिथि से निदेशक बन गए थे। इस प्रकार, उक्त अपीलार्थीगण ने भी पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया है, क्योंकि वे अभियोजन शिकायत में बताए गए तरीके और ढंग से 4,81,16,435 रुपये की अपराध आय को बेदाग दिखाने में सत्येंद्र कुमार जैन की जानबूझकर सहायता कर रहे हैं।
19. अपीलार्थी सत्येंद्र जैन की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी ने ज़ोरदार तर्क दिया कि अभियोजन शिकायत में ईडी द्वारा प्रगणित अपराध की आय की राशि और सीबीआई द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित गैर-आनुपातिक आस्तियों के संबंध में राशि में भारी अंतर है। उनके अनुसार, सीबीआई द्वारा उल्लिखित गैर-आनुपातिक आस्तियों के संबंध में राशि 1,47,60,497 रुपये है, जबकि ईडी के अनुसार अपराध की आय 4,81,16,435 रुपये है।

यहाँ तक कि यदि अपीलार्थी-सत्येंद्र कुमार जैन को उसकी पत्नी की शेयरधारिता के माध्यम से लगभग 4.6 करोड़ रुपये की जमाखर्ची प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो यह केवल 59,32,122 रुपये होगा जो एक करोड़ से कम है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी- सत्येंद्र कुमार जैन ने न तो निदेशक के रूप में कार्य किया और न ही जाँच अवधि के दौरान किसी वित्तीय दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए और कथित अपराध के होने से दो साल पहले ही उसने कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके अनुसार, अपीलार्थीगण- वैभव जैन और अंकुश जैन और उनके परिवार के सदस्यों का मामले में शामिल कंपनियों के नियंत्रण पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

20. श्री सिंघवी की प्रस्तुतियों की विवेचना करने के लिए, आइए हम धारा 2(1)(चक) में निहित "लाभकारी स्वामी", धारा 2(1)(त) में परिभाषित "धन शोधन", धारा 2(1)(प) में "अपराध की आय" और धारा 2(1)(फ) में "संपत्ति" और पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत अपराध की परिभाषाओं को संक्षिप्त रूप से देखें। उक्त परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

"धारा 2 (1) (चक)

(चक) "लाभकारी स्वामी" का अर्थ है वह व्यक्ति जो अंततः रिपोर्टिंग इकाई के ग्राहक का स्वामित्व रखता है या उसे नियंत्रित करता है या वह व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो किसी न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है;

धारा 2 (1) (त)

(त) "धन शोधन" का अर्थ धारा 3 में निर्दिष्ट है;

धारा 2 (1) (प)

(प) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति का मूल्य या जहाँ ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली या रखी जाती है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य;

स्पष्टीकरण. --संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल संज्ञेय अपराध से प्राप्त या अर्जित संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो संज्ञेय अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की जा सकती है;

धारा 2 (1) (फ)

(फ) "संपत्ति" से तात्पर्य हर प्रकार की कोई भी संपत्ति या आस्ति से है, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त और इसमें ऐसी संपत्ति या आस्तियों पर स्वामित्व या हित को प्रमाणित करने वाले कार्य और उपकरण शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों;

स्पष्टीकरण. --संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि संपत्ति शब्द में इस अधिनियम या किसी संज्ञेय अपराध के अंतर्गत अपराध करने में उपयोग की गई किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल है;

धारा 3

जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण. --संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,--

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों अर्थात्: —

(क) छिपाने; या

(ख) कब्जा करने; या

(ग) अधिग्रहण करने; या

(घ) उपयोग करने; या

(ङ) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने; या

(च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने में,

किसी भी तरह से, एक या अधिक में लिप्त पाया जाता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है।

(ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति अपराध की आय को छिपाकर या कब्जे में लेकर या अधिग्रहण करके या उपयोग करके या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपभोग कर रहा है।”

21. पीएमएलए की धारा 3 में अनुध्यात धन शोधन के अपराध को विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विस्तृत रूप से निपटाया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि धारा 3 का दायरा व्यापक है। परिभाषित अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से निपटने वाली प्रत्येक प्रक्रिया और गतिविधि शामिल है, और यह धन शोधन के कृत्य का गठन करने के लिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में दूषित संपत्ति के एकीकरण के अंतिम कार्य की घटना तक सीमित नहीं है। बेशक, अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी का धन शोधन के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर अभियोजन चलाने का अधिकार तभी सक्रिय होता है जब अधिनियम की धारा 2(1)(प) के अर्थ के भीतर अपराध की आय मौजूद हो और इसके अतिरिक्त यह किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हो। अप्रकटित आय के अस्तित्व के मामले में भी और इसकी मात्रा के बावजूद, धारा 2(1)(प) के अंतर्गत “अपराध की आय” की परिभाषा लागू नहीं होगी, जब तक कि संपत्ति किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त न हुई हो। संपत्ति को अधिनियम की धारा 2(1)(प) के तहत “अपराध की आय” की परिभाषा को पूरा करना होगा। जैसा कि देखा गया है, संज्ञेय अपराध से जुड़ी सभी या पूरी अपराध संपत्ति को अपराध की आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन धारा 2(1)(प) के अंतर्गत “अपराध की आय” की परिभाषा को पूरा करने वाली सभी संपत्तियाँ अनिवार्य रूप से अपराध की संपत्तियाँ होंगी।
22. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का प्रश्न है, प्रत्यर्थी ईडी ने उक्त अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज किए गए साक्षियों के बयानों और उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, ताकि प्रथम दृष्टया धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के कथित अपराध में तीनों अपीलार्थीगण की संलिप्तता को दर्शाया जा सके। रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष - ईडी द्वारा दर्ज किए गए साक्षियों के बयान धारा 50 को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। ऐसे बयान धन शोधन के अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता के बारे में एक मज़बूत मामला बना सकते हैं।
23. पुनः, विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 50 में निहित उपबंधों की वैधता की जाँच करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

431. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि धारा 50 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपराध की आय के बारे में जाँच के संबंध में समन जारी किया जाता है, जिसे कुर्क किया जा सकता है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को समन करने का अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक

नहीं है कि नोटिस प्राप्त करने वाले के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया जाए। इस अधिनियम के अंतर्गत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालाँकि वास्तविक अर्थों में जाँच के रूप में है, अपराध की आय के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जाँच करना है, यदि स्थिति ऐसा करने की माँग करती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अलग बात है कि जाँच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध के किए जाने और उस व्यक्ति की संलिप्तता का प्रकटीकरण कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए समन के अनुसरण में प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के धन शोधन के अपराध में अभियुक्त के रूप में शामिल होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज़ नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से धन शोधन के अपराध या अपराध की आय के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति के अपराध की आय होने के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जाँच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए कोई जाँच नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता के विरुद्ध कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। इस तरह के समन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जाँच में साक्षियों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालाँकि, अन्य सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर आगे की जाँच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता का पता चलता है, प्राधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्यों या चूक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालाँकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं रोकेंगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस सामग्री के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत परिणाम शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।

24. वर्तमान मामले में, जाँच के दौरान धारा 50 के अंतर्गत दर्ज साक्षियों के बयानों से यह पाया गया कि अपीलार्थी सत्येंद्र जैन और उसका परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स प्रयास इन्फ़ोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का स्वामित्व/नियंत्रण कर रहा था। वह लगभग 4.81 करोड़ रुपये की जमाखर्ची

प्रविष्टियों का संकल्पनाकार, आरंभकर्ता और पर्यवेक्षक था, जो उक्त चार कंपनियों के बैंक खातों में कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों से प्राप्त हुए थे। श्री जे.पी. मोहता ने अपने बयान में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बयान दिया था कि श्री सत्येंद्र जैन ने जून/जुलाई, 2010 में उन्हें सूचित किया था कि वह नकद भुगतान के बदले अपनी कंपनियों में निवेश/जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्राप्त करना चाहता है और इसलिए उसने श्री जैन को अपने मित्र श्री राजेन्द्र बंसल से मिलवाया, जो नकद भुगतान के बदले जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्रदान करने के व्यवसाय में था। श्री राजेन्द्र बंसल ने धारा 50 के अंतर्गत अपने बयान में विस्तार से बताया था कि किस तरह उनकी कंपनियों ने 2010-11 से 2015-16 तक सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली/नियंत्रित चार कंपनियों को नकद के बदले जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्रदान कीं। श्री राजेन्द्र बंसल ने यह भी बयान दिया था कि हवाला संचालकों के माध्यम से कोलकाता में सत्येंद्र कुमार जैन/जगदीश प्रसाद मोहता से नकदी प्राप्त की जा रही थी, और वह हवाला संचालकों का पता अन्य प्रविष्टि संचालकों अर्थात् जीवेंद्र मिश्रा और अभिषेक चोखानी को देता था ताकि उनसे टोकन लेकर नकदी एकत्र की जा सके। वह अपनी कंपनियों और अन्य प्रविष्टि संचालकों के माध्यम से जगदीश प्रसाद मोहता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के अनुसार सत्येंद्र कुमार जैन की कंपनियों के लिए प्रविष्टियों की व्यवस्था करता था। वह (श्री बंसल) सत्येंद्र कुमार जैन की चार कंपनियों के शेयरों को नकद में प्राप्त करने के लिए चेक/आरटीजीएस जारी करता था। उसने आगे बयान दिया था कि जमाखर्ची प्रविष्टियाँ उसकी कंपनियों के खातों की पुस्तकों में शेयरों में निवेश के रूप में दिखाई देती थीं। वह जगदीश प्रसाद मोहता को हस्ताक्षरित शेयर आवेदन के साथ-साथ हस्ताक्षरित खाली अंतरण विलेख भी देता था। उसने आगे बयान दिया था कि उसने सत्येंद्र जैन/जगदीश प्रसाद मोहता के निर्देश पर 2010-2016 के दौरान कोलकाता के हवाला संचालकों के माध्यम से लगभग 17 करोड़ रुपये की कुल राशि 40-50 बार प्राप्त की थी और उसने सत्येंद्र जैन की कंपनियों के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्रदान की थीं, जिसके लिए उसने सत्येंद्र जैन की कंपनियों को ऐसी जमाखर्ची प्रविष्टियाँ प्रदान करने/व्यवस्थित करने के लिए 12,40,000 रुपये का कमीशन अर्जित किया था।

25. श्री पंकुल अग्रवाल ने अपने बयान में कहा था कि हालाँकि उसे मैसर्स जे.जे. आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक नियुक्त किया गया था, लेकिन उसने दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया और उक्त कंपनी का नियंत्रण सत्येंद्र कुमार जैन और पूनम जैन के पास था और उसे कभी भी उक्त कंपनी की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के बारे में उनके द्वारा सूचित नहीं किया गया था। अपीलार्थी वैभव जैन ने स्वयं 27.02.2018 को दर्ज अपने बयान में कहा था कि उसके, सुनील कुमार जैन, अंकुश जैन और सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फ़ोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों के माध्यम से जमाखर्ची

प्रविष्टियाँ लेने के लिए 16.50 करोड़ रुपये (लगभग) की नकद राशि का भुगतान किया गया था और यह पूरा विचार सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा कृषि भूमि खरीदने और नगर-क्षेत्र विकसित करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए बनाया गया था। उक्त साक्षियों ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि सत्येंद्र कुमार जैन जमाखर्ची, शेयर पूंजी/प्रीमियम प्रविष्टियों को प्राप्त करने के संपूर्ण संचालन का संकल्पनाकार, आरंभकर्ता, निधि प्रदाता और पर्यवेक्षक था। हालाँकि, उक्त चार कंपनियों के शेयरधारिता पैटर्न काफ़ी जटिल हैं, लेकिन वे दर्शाते हैं कि श्री सत्येंद्र कुमार जैन अपने परिवार के माध्यम से उक्त कंपनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर रहा था और श्री सत्येंद्र कुमार जैन पीएमएलए की धारा 2(1) (चक) की परिभाषा के अंतर्गत “लाभकारी स्वामी” था।

26. इस समय, यह उल्लेख करना अत्यंत प्रासंगिक है कि अपीलार्थीगण- वैभव जैन और अंकुश जैन ने 27.09.2016 को फ़ॉर्म-I में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अंतर्गत अलग-अलग घोषणाएँ दाखिल करके आय घोषणा योजना, 2016 (आईडीएस) का लाभ उठाने की माँग की थी, जिसमें दोनों अपीलार्थीगण ने व्यक्तिगत रूप से कर निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2016-17 में विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश के रूप में 8,26,91,750/- रुपये की आय घोषित की थी। प्रधान आयुक्त, आयकर (IV), नई दिल्ली ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अंतर्गत पारित दिनांक 09.06.2017 के आदेश के अनुसार अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक अपीलार्थीगण- वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा 8,26,91,750/- रुपये की आय की घोषणा “तथ्यों को दबाकर और गलत तरीके से प्रस्तुत करके” की गई थी, और इसलिए वे “शून्य” थे। यह उल्लेख करना आगे उचित है कि पीसीआईटी का उक्त आदेश एसीआईटी, स्पेशल रेंज (IV) द्वारा दिनांक 07.06.2017 को मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स प्रयास इन्फ़ोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और श्री सत्येंद्र कुमार जैन के मामले में मूल्यांकन कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि उक्त कंपनियों ने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से शेयर पूंजी के रूप में जमाखर्ची प्रविष्टियाँ ली थीं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए श्री सत्येंद्र कुमार जैन को नोटिस जारी किए गए थे। बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (संक्षेप में “पीबीपीटी अधिनियम” के अंतर्गत आगे की जाँच और आवश्यक कार्रवाई के लिए आरंभिक अधिकारी को जमाखर्ची प्रविष्टियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई थी। आरंभिक अधिकारी ने 24.05.2017 को पीबीपीटी अधिनियम की धारा 24(4) के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि श्री सत्येंद्र कुमार जैन कंपनियों में पेश की गई फ़र्ज़ी शेयर पूंजी के लाभकारी स्वामी था। वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अंतर्गत पारित पीसीआईटी के दिनांक 09.06.2017 के उक्त आदेश को अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन ने रिट याचिका

(सि.) सं. 6541/2017 और 6543/2017 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.08.2019 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया था और उक्त रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

“30. ऐसी आठ कंपनियाँ हैं जिनके शेयर दो याचीगण द्वारा खरीदे गए थे, जिनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं। बेशक, एडीपीएल में शेयरों के संबंध में, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24 (4) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है। याचीगण ने स्वयं "बेनामीदार", अर्थात् एडीपीएल के संबंध में पारित 24 मई, 2017 के आदेश की एक प्रति संलग्न की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि शेयर पूंजी/प्रीमियम की आड़ में जमाखर्ची प्रविष्टियों के माध्यम से जो नकदी भेजी गई थी, वह वास्तव में श्री सत्येंद्र कुमार जैन की थी और उसके निर्देश पर ही पूरा लेनदेन किया गया था। यह उल्लेख किया गया कि इन दोनों याचीगण में से कोई भी उक्त कंपनी में निदेशक या शेयरधारक नहीं था। यह उल्लेख किया गया कि घोषणाकर्तागण ने उस "बेनामीदार" का नाम नहीं बताया था जिसके माध्यम से निवेश किया गया था और ये सभी तथ्य दोनों याचीगण की जानकारी में थे। प्रधान आयकर आयुक्त के इन निष्कर्षों का किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक खंडन नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, प्रधान आयकर आयुक्त का यह निष्कर्ष सही था कि याचीगण में से किसी ने भी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण नहीं किया है।”

27. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन ने विशेष अनुमति याचिकाएँ वि.अनु.या (सि.) सं. 27522/2019 और 27610/2019 दायर करके उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, हालाँकि उन्हें 29.11.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।
28. उपर्युक्त तथ्यों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी- सत्येंद्र कुमार जैन ने नकदी के बदले जमाखर्ची प्रविष्टियों का विचार तैयार किया था और वह कोलकाता स्थित प्रविष्टि संचालकों के माध्यम से चार कंपनियों अर्थात् मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंडो मेटालिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में नकद भुगतान करके प्राप्त कुल 4.81 करोड़ रुपये (लगभग) की जमाखर्ची प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी था और उक्त कंपनियों का नियंत्रण और स्वामित्व उसके और उसके परिवार के पास था। हालाँकि यह सत्य है कि एक कंपनी अपने शेयरधारकों और निदेशकों से एक अलग विधिक इकाई है, लेकिन कॉर्पोरेट आवरण उठाने की अनुमति तब दी जाती है जब

ऐसे कॉर्पोरेट ढाँचे का प्रयोग धोखाधड़ी या आर्थिक अपराध करने के लिए किया गया हो या अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मुखौटे या दिखावे के रूप में इस्तेमाल किया गया हो।

29. यह भी पाया गया है कि अपीलार्थीगण - अंकुश जैन और वैभव जैन ने सत्येंद्र कुमार जैन को बचाने के लिए आईडीएस के अंतर्गत झूठी घोषणाएँ करके अपीलार्थी-सत्येंद्र कुमार जैन की सहायता की थी, जिनमें से प्रत्येक ने 8.26 करोड़ रुपये की कथित अप्रकटित आय घोषित की थी। यद्यपि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत करने की माँग की गई थी कि आईडीएस के अंतर्गत उक्त घोषणाओं को आयकर अधिकारियों द्वारा एफ़ए, 2016 की धारा 193 के अनुसार "शून्य" माना गया है, वर्तमान कार्यवाही में इस पर गौर नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रस्तुतिकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा आईडीएस के अंतर्गत की गई घोषणाओं को आयकर अधिकारियों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने इस तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था कि उक्त कंपनियों में निवेश उक्त अपीलार्थीगण का था, जो वास्तव में श्री सत्येंद्र कुमार जैन का था। अपीलार्थीगण को आयकर अधिकारियों को गुमराह करने के लिए झूठी घोषणाएँ दाखिल करने के अपने गलत काम का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और अब पीएमएलए के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाही में यह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि आईडीएस के अंतर्गत उक्त घोषणाएँ निरर्थक थीं। हालाँकि आईडीएस के अंतर्गत उनके द्वारा की गई घोषणाएँ शून्य मानी गईं, लेकिन प्राधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में दर्ज टिप्पणियों और कार्यवाही को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 193 के अंतर्गत घोषणाएँ शून्य मानी गईं। उक्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी ईडी के मामले की पुष्टि करती है जैसा कि पीएमएलए के अंतर्गत अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया गया है।
30. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, हमारी राय है कि अपीलार्थीगण हमें यह संतुष्ट करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वे कथित अपराधों के दोषी नहीं हैं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-ईडी द्वारा यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है कि वे कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं।
31. हालाँकि सुश्री अरोड़ा ने यह कहने का प्रयास किया था कि अपीलार्थीगण अंकुश जैन और वैभव जैन की भूमिका के संबंध में अभियोजन शिकायत में उल्लिखित आँकड़ों के संबंध में ईडी द्वारा की गई तथाकथित अनजाने में की गई गलती को सुधारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो अन्यथा दर्शाता है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप प्रकृति में अस्पष्ट थे, हम उक्त प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। हम प्रत्यर्थी-ईडी की ओर से दायर शपथपत्र में दिए

गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं कि कोष्ठक वाले भाग में 1,53,61,166/- रुपये का उल्लेख करना केवल एक अनजाने में की गई गलती थी, जिसे सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दिखाया था। पीएमएलए के अंतर्गत कार्यवाही में अपीलार्थीगण के विरुद्ध कथित मामले में उक्त अनजाने में की गई गलती का कोई महत्व नहीं है।

32. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से, यह मानना संभव नहीं है कि अपीलार्थीगण ने पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित दो अनिवार्य शर्तों का पालन किया था। उच्च न्यायालय ने भी अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर चर्चा करने के बाद अपने आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थीगण को पीएमएलए के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया था, जिस निर्णय में कोई अवैधता या दोष नहीं है।
33. अपीलार्थीगण को उनकी गिरफ्तारी के बाद अस्थायी अवधि के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अपीलार्थी-सत्येंद्र कुमार जैन को 30.05.2022 को चिकित्सा आधार पर जमानत पर रिहा किया गया था, जो आज तक जारी है। अब उसे विशेष न्यायालय के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शीघ्र सुनवाई और न्याय तक पहुँच का अधिकार भारत के संविधान में निहित एक मूल्यवान अधिकार है, और दं.प्र.सं. की धारा 436क के उपबंधों पीएमएलए की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले धन शोधन के मामलों पर पूरी ताकत से लागू होंगे, बशर्ते कि इसमें निहित परंतुक और स्पष्टीकरण हों।
34. मामले के उस दृष्टिकोण से, सभी अपीलों को खारिज किया जाता है।

हेडनोट तैयार किए गए: निधि जैन द्वारा

मामले का परिणाम:
याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.